न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर. खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्रीमती मैथीदेवी पुत्री स्वर्गीय भेराराम जी पत्नि पनाराम जी, जाति– मीणा, निवासी– मनादर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, हाल निवासी– बडा मेणवाडा, छावणी, शिवगंज, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1.प्रागा पुत्र भुरा जी, जाति– मीणा, निवासी– मनादर, तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही

2.खेतु पुत्री भुरा जी पत्नि रगाराम जी, जाति–मीणा, निवासी–चांदाणा, हाल– मनादर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

3.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,, शिवगंज, जिला– सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 16/2019

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या–3 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 27 दिसम्बर, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम मनादर, पटवार हल्का मनादर द्वितीय के स्वीकृत नामानतरकरण संख्या 2768 दिनांक 09.1.2007 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन/नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या–3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपीलार्थी श्रीमती मैथी देवी जो स्वर्गीय भेराराम पुत्र हीराजी, जाति–मीणा, निवासी–मनादर, तहसील–शिवगंज की जायन्दा पुत्री है। अपीलान्ट मैथीदेवी के पिता श्री भेरारामजी पुत्र हिराजी मीणा का स्वर्गवास आज से करीबन 30 साल पूर्व हो चुका है तथा उसकी माता श्रीमती हस्तुदेवी का स्वर्गवास उसके पिता की मृत्यु से पूर्व आज से करीबन 33 साल पूर्व हो चुका है। स्व. भेराराम पुत्र हीराजी की इकलौती जायन्दा पुत्री अपीलान्ट मैथीदेवी है तथा उसके अलावा स्वर्गीय भेराराम पुत्र हिराजी मीणा निवासी मनादर के और कोई विधिक वारीसान नही है तथा अपीलान्ट स्व. भेराराम पुत्र हीराजी की जायन्दा पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारीसदार है। अपीलान्ट का विवाह आज से क[illegible] साल पूर्व श्री पनारामजी मीणा निवासी– छावणी, शिवगंज के साथ हुआ था [illegible] से [illegible] अपने पति के साथ अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

ससुराल में निवास करती आ रही है तथा कभी कभार अपने पीहर वालो व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को मिलने के लिए ग्राम मनादर आती जाती रहती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 (प्रागाराम व श्रीमति खेतु) अपीलान्ट के बड़े पिता (ताऊजी) श्री भुराराम पुत्र हीराजी के जायन्दा पुत्र व पुत्री है जो अपीलान्ट के चचेरे भाई–बहिन है। अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय भेराराम पुत्र हिराजी मीणा, निवासी मनादर के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम मनादर, पटवार हल्का मनादर द्वितीय, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही के खाता संख्या 415 खसरा संख्या 2924 / मिन. 16 रकबा 10 बीघा किस्म पडत आई हुई है। यह भूमि अपीलान्ट की पुश्तैनी कृषि भूमि है, जो अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय भेराजी पुत्र हीराजी, जाति मीणा, निवासी मनादर के खातेदारी कब्जे काश्त की थी जो पुरानी जमाबंदी संवत 2057 से 2060 से साबित है। अपीलान्ट के पिताजी श्री भेरा पुत्र हीराजी का स्वर्गवास आज से करीबन 30 साल पूर्व हुआ था तथा अपीलान्ट अपने पिताजी के देहान्त के समय अपने ससुराल में निवास करती थी तथा वह अनपढ़ होने से उसको अपने पिताजी की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण दर्ज करवाने की जानकारी नही होने से उसने अपने नाम से नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिए कभी भी आवेदन नही किया जिससे उक्त भूमि उसके पिता की मृत्यु के बाद भी उसके पिता के नाम से ही खातेदारी मे चली आ रही थी। यह कि वर्ष 2007 मे ग्राम मनादर में सम्पर्क राजस्व अभियान का केम्प लगने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने आपस मे सलाह मशवरा कर यह जानते बुझते कि अपीलान्ट श्रीमती मैथीदेवी स्वर्गीय भेरा पुत्र हीराजी मीणा की जायन्दा इकलोती पुत्री वारसदार है एवं जीवित है, फिर भी उन्होंने स्व. भेरा पुत्र हीराजी मीणा को नाऔलाद फौत बता कर व उसकी मृत्यु 12 वर्ष पूर्व होने का झूठा कथन कर व राजस्व कैम्प मे झूठे गवाहान को तैयार कर व आपस मे मेल मिलाप कर अपने आपको स्वर्गीय भेरा पुत्र हीरा जी मीणा, निवासी मनादर का उत्तराधिकारी व वारीसदार बता कर विवादित कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम से दर्ज करवाकर स्वीकृत करवा लिया, जो विधि विरुद्ध है। अपीलान्ट अपने पिताजी श्री भेराराम पुत्र हीराजी मीणा की एक मात्र ईकलोती संतान है। अपीलान्ट के पिताजी का देहान्त होने के बाद स्वर्गीय भेराराम की तमाम चल व अचल संपति को बतौर उत्तराधिकारी प्राप्त करने की एक मात्र अधिकारीनी है। अपीलान्ट अपने हक हिस्से की उक्त कृषि भूमि पर साल मे केवल एक बार बरसाती खेती करती है व बाकी समय अपने ससुराल मे रहती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 (प्रागा व श्रीमति खेतु) जो कि अपीलान्ट के चचेरे भाई–बहिन है तथा अपीलान्ट के पिता का देहान्त होने के बाद उससे कम बोलचाल रखते है व उन्होने अपीलान्ट की उक्त पुश्तैनी कृषि भूमि को हडपने की नियत से अपने नाम से नामान्तरकरण करवा लिया। यह कि अपीलान्ट के पुत्र की शादी में प्रागाजी ने सामाजिक रिती रिवाज अनुसार मायरा किया है। यह कि प्रश्नगत नामान्तरकरण दायर करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया है एवं न ही समुचित जांच की गई है। यह कि अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण संख्या 2768 की जानकारी नही थी एवं अपीलान्ट अनपढ वृद्ध महिला है तथा अपीलान्ट विवाहित होने से अधिकतर अपने ससुराल में निवास करती है तथा अपीलान्ट अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त है जिससे उसने कभी अपनी खातेदारी की भूमि बाबात कोई पूछताछ नही की व न ही उनको ऐसी कोई आवश्यकता ही पडी। अपील प्रस्तुत करने के करीब एक माह पूर्व अपीलान्ट अपने हक हिस्से की जमीन का बरसात खेती करने हेतु खड़ाई करवाने के लिए ग्राम मनादर आई थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को बरसाती खेती करने के बारे मे बताया तो उन्होने अपीलान्ट के साथ झगडा किया व उसे कहा कि तेरी यहां पर कोई जमीन नहीं है यहां से चली जा जिस पर अपीलान्ट अपने खाते की जमाबंदी की नकल लेने के लिए पटवारी हल्का मनादर द्वितीय के पास गई तो पटवारी ने उसे बताया कि तेरे नाम से कोई भी जमीन नहीं

......पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

है व सम्पूर्ण जमीन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम से खाते में दर्ज है जिस पर अपीलान्ट ने पुराने खाते की पटवारी से जांच करवाई तो पटवारी हल्का से अपीलान्ट को इस बात की जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलान्ट के पिता भेराराम पुत्र हीराजी को नाऔलाद फौत बता कर व अपने आपको उनका वारीसदार बता कर सारी जमीन अपने नाम पर दर्ज करवाई है जो कानन्न गलत है। अपीलान्ट ने प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी तिथि के 30 दिन की अवधि में अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण को दर्ज किया जाकर विवादित भूमि का अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, शिवगंज को निर्देशित किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि श्रीमती मैथीदेवी स्वर्गीय भेराजी की पुत्री हो ऐसा कोई साक्ष्य अपीलान्ट ने प्रस्तुत नही की है। हकीकत यह है कि स्वर्गीय भेराजी का एक पुत्र मांगीलाल था तथा उसके मरने के बाद जमीन पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का ही कब्जा रहा तथा वहीं खेती कर कमा कर अपना जीवन यापन करता है। यह कि अपीलान्ट की माता हस्तुदेवी ने जब भेराजी से नाता विवाह किया तब अपीलाण्ट मैथी को साथ लेकर आयी थी तथा बडी होने पर वह अपने जैविक पिता के घर चली गयी तथा वहा से उसने अपना विवाह चान्दाना गांव में किया, लेकिन अपीलान्ट अपने पति के साथ नहीं रहकर अपने काकीया ससुर के साथ भाग गयी तब उसने अपना दुसरा विवाह पन्नाराम से किया। मेथीदेवी भैराजी की पुत्री नहीं है। स्वर्गीय खातेदार भेराजी पुत्र हीराजी का केवल एक पुत्र मांगीलाल था जिसकी मृत्यु हो गयी है। उसके बाद जमीन पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त रहा है। जब भेरारामजी का स्वर्गवास हुआ तब सामाजिक व्यवहार का खर्चा प्रागाजी ने किया है। भेरारामजी के द्वारा जो सोसायटी का ऋण बकाया था वह भी प्रागजी ने चुकाया है। प्रत्यर्थी प्रागा जी ने सामाजिक रूप से अपीलान्ट मेथीदेवी के पुत्र गजाराम के विवाह पर मामेरा किया। यह कि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है। अपीलाण्ट न तो कभी मनादर आयी है एवं नही कभी अपने पीयर मे आकर मिलने की बात हुई है। अपीलान्ट द्वारा सामाजिक रुप से अपने प्रथम विवाह के बाद अपने काकीया ससुर के साथ भाग जाने से सामाजिक रुप से गलत कृत्य किया है। प्रत्यर्थी संख्या–1 पिछले 30 वर्ष से अधिक समय से खसरा संख्या 2924 / मिन 16 की 10 बीघा जमीन पर काबिज काश्त है। विवादित भूमि अपीलाण्ट की कोई पुश्तैनी भूमि नहीं है। आदिवासी जाति मे निकटतम भाई तथा भतीजे के नाम से ही जमीन उतरती है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम से जो नामान्तकरण दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है जो सही दर्ज हुआ है। अपीलाण्ट को यह भली भाति पता है कि मेरा कोई हक नही लगता है। इस लिए उसने कभी भी कोई कार्यवाही नही की है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 जो कि मृतक खातेदार के नजदीकी रिश्तेदार होने से उसके नाम से नामान्तरकरण दर्ज हुआ है जो कानूनन सही है। राजस्व कैम्प में हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक ने जांच करके प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में नियमानुसार नामान्तरकरण दायर किया है जिसे तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट मृतक खातेदार भेरा जी पुत्र हीराजी की जायन्दा पुत्री नही है, बल्कि अपीलान्ट की माता हस्तुदेवी ने जब भेराराम जी से नाता विवाह किया तब अपीलान्ट अपनी माता के साथ आई थी। अपीलान्ट के जैविक पिता भेराराम जी नही है। भेरा जी की मृत्यु ना औलाद हुई, भेरा जी की कोई जायन्दा पुत्री नही थी। अपीलान्ट भेरा जी के नाते में आई पत्नी की पुत्री होने से अपने जैविक पिता के घर गई तथा वहा से ही आगे के सामाजि[illegible] हुए है। विवादित भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज होने के स[illegible]म अ[illegible]न्ट को प्रारम्भ से ही जानकारी

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * राजस्थान

a
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

रही है। उसके बावजूद भी अपीलान्ट ने प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की भूमि को हडपने की नियत से गलत कथनों के आधार पर जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। अतः अपीलान्ट को खारिज किया जावे। विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि मृतक खातेदार श्री भेराराम पुत्र हीराजी मीणा की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामान्तरकरण दायर हुआ जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत किया गया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम मनादर, द्वितीय, पटवार हल्का मनादर द्वितीय के खाता संख्या 415 खसरा संख्या 2924/मिन. 16 रकबा 10 बीघा किस्म पडत I के खातेदार भेरा पुत्र हीरा जी, जाति– मीणा, निवासी– मनादर की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि का हल्का पटवारी, मनादर द्वितीय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 (क्रमशः प्रागा व खेतु) के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 2768 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 09.1.2007 को स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, शिवगंज स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 2768 दिनांक 09.1.2007 के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.8.2019 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 2768 दिनांक 09.1.2007 को निरस्त कराने हेतु यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2768 दिनांक 09.1.2007 के संबंध में जानकारी तिथि से अन्दर मियाद 30 दिन में अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। अपीलार्थी ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया है।. प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण संख्या 2768 दिनांक 09.1.2007 के संबंध में पूर्व से ही जानकारी हो। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना पाया जाने से धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

अपीलार्थी का मुख्यतः यह कथन है कि "मृतक खातेदार श्री भेराराम पुत्र हीराजी, जाति– मीणा, निवासी– मनादर की एकमात्र जायन्दा पुत्री अपीलार्थी मैथीदेवी है एवं अपीलार्थी के अलावा स्वर्गीय भेराराम पुत्र हीराजी मीणा, निवासी– मनादर के और कोई विधिक वारिसान नही है। अपीलार्थी स्वर्गीय भेराराम पुत्र हीराजी की जायन्दा पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिसदार है, इस कारण से स्वर्गीय भेराराम पुत्र हीराजी मीणा, निवासी– मनादर की मृत्यु के बाद उनकी खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण अपीलार्थी मैथीदेवी के पक्ष में दायर कर स्वीकृत किया जाना चाहिये था, लेकिन राजस्व कार्मिकों ने कोई जांच किये ही बिना ही श्री भेराराम पुत्र हीराजी मीणा, निवासी– मनादर की कृषि भूमि का प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामान्तरकरण दायर कर लिया, जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत करवा लिया।" जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का मुख्यतः कथन यह है कि "स्वर्गीय भेराजी पुत्र हीराजी मीणा का एक पुत्र मांगीलाल था एवं उसकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर प्रत्यर्थीगण का कब्जा रहा तथा काश्त कर [illegible] अपीलार्थी मैथीदेवी की माता हस्तुदेवी ने जब भेराजी पुत्र हीराजी मीणा [illegible] माता [illegible] किया था, तब अपीलार्थी मैथी को उसकी माता हस्तुदेवी साथ लेकर आई [illegible] बड़ी होने पर वह अपने

.....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जैविक पिता के घर चली गयी थी।'' इस प्रकार, प्रकरण में मुख्यतः विवाद यह है कि मृतक खातेदार भेराराम पुत्र हीराजी मीणा, निवासी– मनादर की अपीलार्थी मैथीदेवी जैविक पुत्री है या नही? इस संबंध में प्रकरण में अपीलार्थी मैथीदेवी की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है जिससे यह साबित हो सके कि मृतक खातेदार भेराराम पुत्र हीराजी मीणा, निवासी– मनादर की अपीलार्थी मैथीदेवी पुत्री हो। चूंकि अपीलार्थी मैथीदेवी इस अपील के माध्यम से अपने अधिकारों का निर्धारण करवाना चाह रही है, जबकि नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी एवं फिस्कल प्रोसीडिंग है, जिसके द्वारा सम्पति पर स्वत्व एवं अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है। हक अधिकारों का निर्धारण सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर ही करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested